

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

दिनांक: 12/1/2025

पत्रांक : 2445 / वाद सं0 आर-0266/एस-7/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री विनोद, मसूरी रोड़ निकट शिव मन्दिर, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 25 गुणा 35 फिट के क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृत करायें बिना आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं0 आर-0266/एस-7/2025 योजित किया गया था। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 26.8.2025 के अनुसार आवासीय भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रश्नगत निर्माण का कोई स्वीकृत/शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 18/9/25 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. थानाध्यक्ष, राजपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/ प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहा0 अभि0/अव0अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. विपक्षी श्री विनोद, मसूरी रोड़ निकट शिव मन्दिर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त अनाधिकृत निर्माण को उपरोक्त नियत तिथि पर सील की कार्यवाही की जानी है। उपरोक्त तिथि को आप उपरोक्त तिथि को स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक 548 दिनांक 15.5.2025 सीलिंग आदेश की शर्त यथावत रहेंगी।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

